



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक : एफ-37(3)/जोविप्रा/नि.आ./2016/1614

दिनांक : 13/12/16

अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चर लि.,

आयुषि टॉवर प्रथम फ्लोर पाल रोड,

बाहरवीं रोड सर्कल, जोधपुर।

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673 से 677 के भूखण्ड क्षेत्रफल 99599.74 वर्ग मीटर पर ग्रुपहाउसिंग (आवसीय बहुमंजिला फ्लैट्स) उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 18.10.2013 के परिपेक्ष में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673 से 677 के भूखण्ड क्षेत्रफल 99599.74 वर्ग मीटर पर ग्रुपहाउसिंग (आवसीय बहुमंजिला फ्लैट्स) उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है। उक्त के कम में प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की बैठक दिनांक 22.09.2016 में प्रस्तुत कर मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की बैठक के निर्णयानुसार भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित किये जाते हैं :-

1. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार को वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र, मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
3. आप द्वारा पार्किंग प्रावधान की पालना जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
4. आप द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की धारा 8.14 के अनुसार भवन में वर्षा जल संग्रहण हेतु Rain Water Harvesting Structure का निर्माण करवाया जाना होगा।
5. आप द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की धारा 8.16 के अनुसार भवन में सौर ऊर्जा से पानी गरम करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना जाना आवश्यक होगा।
6. आप द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त / उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
7. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण का निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
8. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की धारा 15.3 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
9. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की तालिका 3 के बिन्दु सं. 8 के अनुसार भूखण्ड पर 10 प्रतिशत भूमि पर लैंड स्केपिंग/हरियाली क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। भूखण्ड पर सेटबैक क्षेत्र में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल पर कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाये जाने अनिवार्य होंगे।
10. भवनो के दो ब्लॉक्स के बीच की दूरी ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई की 1/4 होगी व न्यूनतम दूरी 6 मीटर अनिवार्य होगी।
11. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

15. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
16. भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यन्त्र रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहे।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान का नक्शा भी प्रदर्शित उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
18. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
20. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
21. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगावाये जायें।
22. अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्रों से अतिरिक्त निर्माण किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण किया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण को होगा।
23. योजना में प्रस्तावित EWS/LIG के कुल 96 ईकाइयों को योजना के कुल एफ.ए.आर. से मुक्त रखा गया है। आवासीय ईकाइयों का कब्जा प्राधिकरण को सौंपा जाना होगा। जिनका निर्माण 3 वर्ष के भीतर किया जाना होगा।
24. कार्यालय वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान) भू-जल विभाग, जोधपुर द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्र क्रमांक 2783 दिनांक 02.12.16 की शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
25. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रदत्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक अग्नि13/जेएफएस/2016-17/768 दिनांक 01.12.16 में वर्णित सभी शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जानी है।
26. सदस्य सचिव स्टेट लेवल ईन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट ऑथोरिटी राजस्थान प्रदत्त ईन्वायरमेन्ट क्लीयरेंस (ईसी) क्रमांक F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.8(a)B2/(517)/12-13 Dated - 8 -02- 2013 की सभी शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
27. भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
28. उपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा स्वतः ही रद्द मानी जायेगी।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सैट (24 मानचित्र)

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
एवं सदस्य सचिव
भवन निर्माण समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
दिनांक :

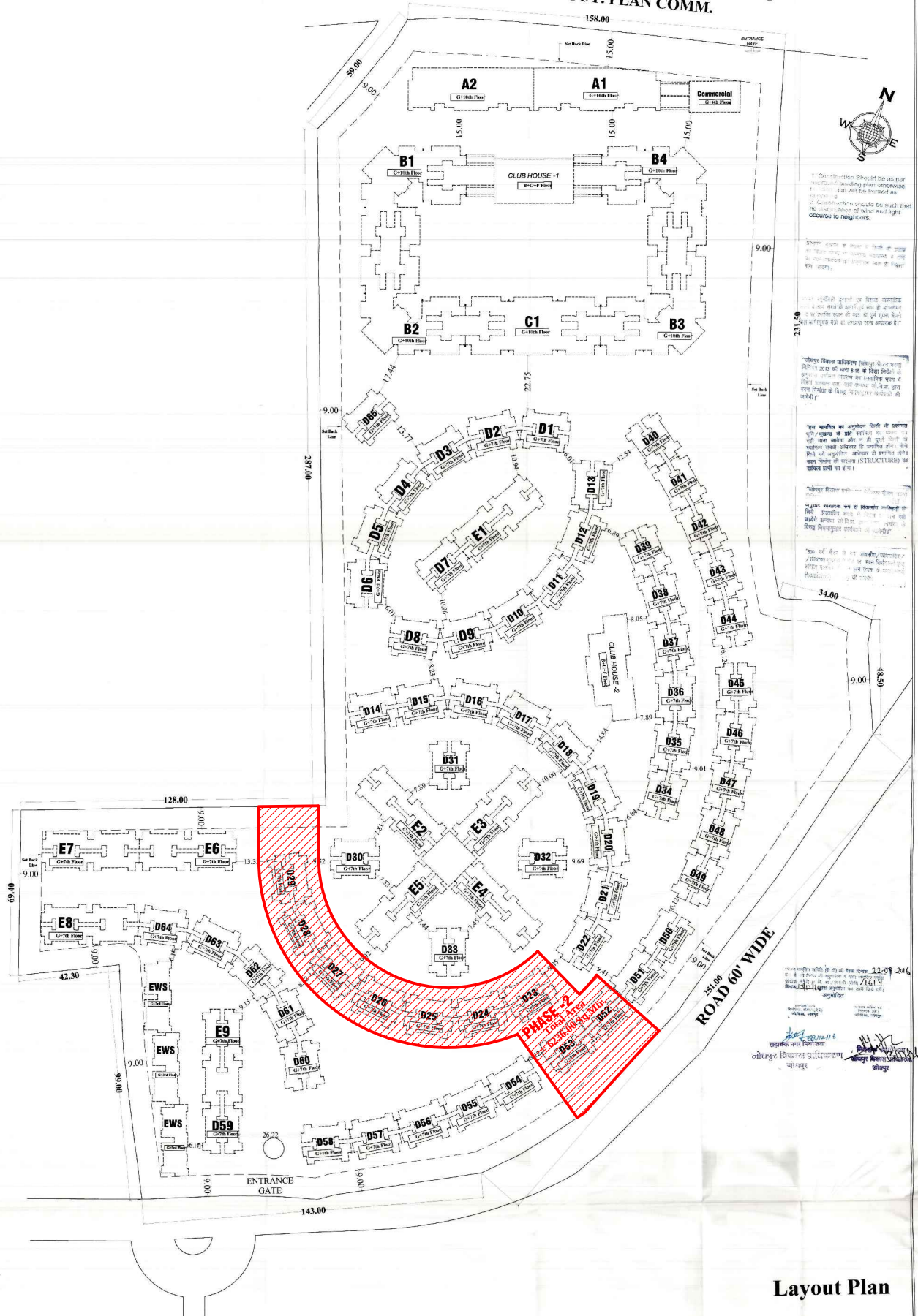
क्रमांक : एफ-37(3)/निदे. आयो./जेडीए/भनिअ/2016/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपायुक्त, जोन पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को मानचित्रों की एक प्रति (24 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
एवं सदस्य सचिव
भवन निर्माण समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.



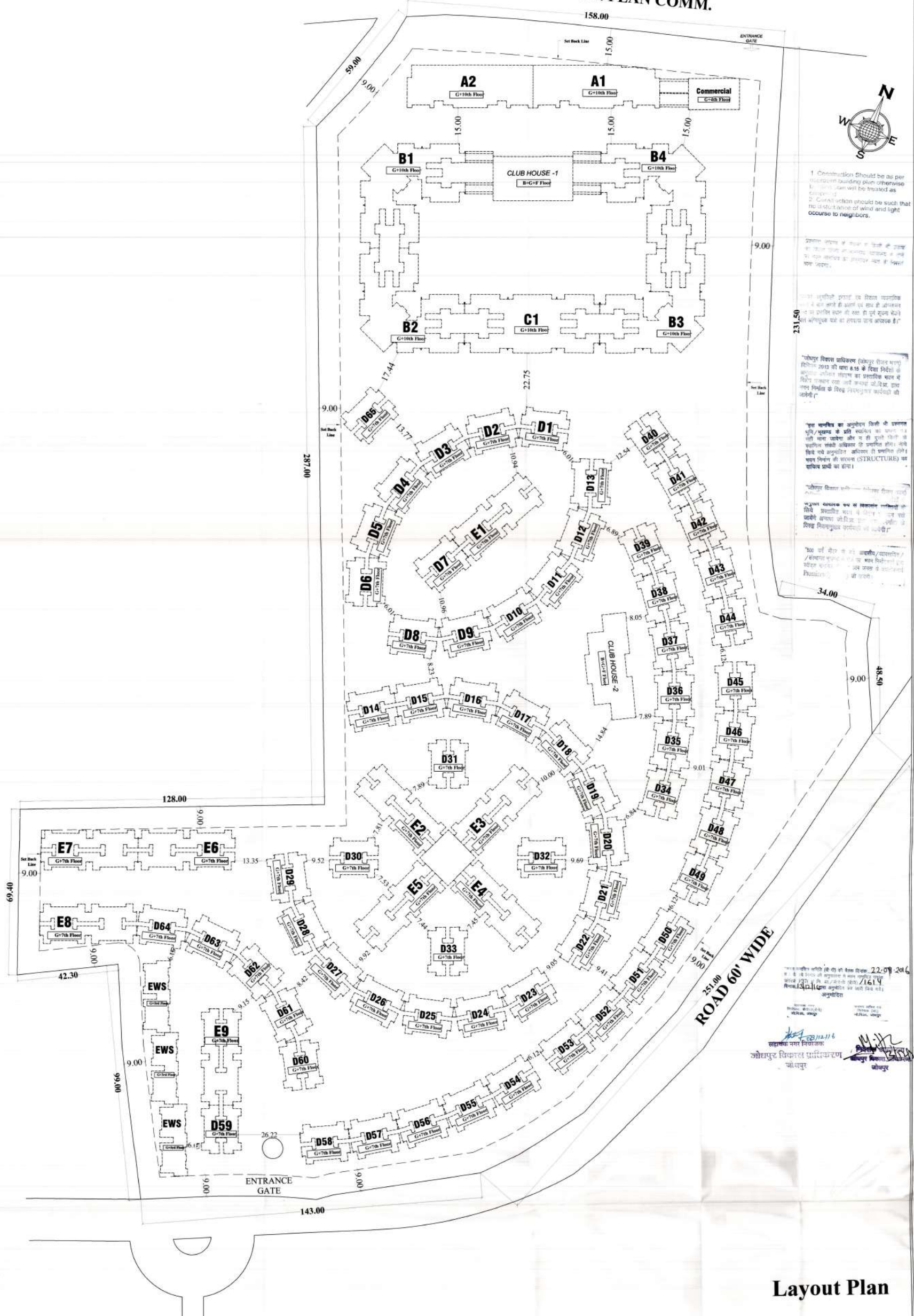
Layout Plan

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.
Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner
M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect
M/s. DEV SINGH
B. Arch.
C.A.2022/29610
DEV ARCHITECTS
08530 8 ROADSAKARPURA, JODHPUR

PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.



Layout Plan

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.
Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

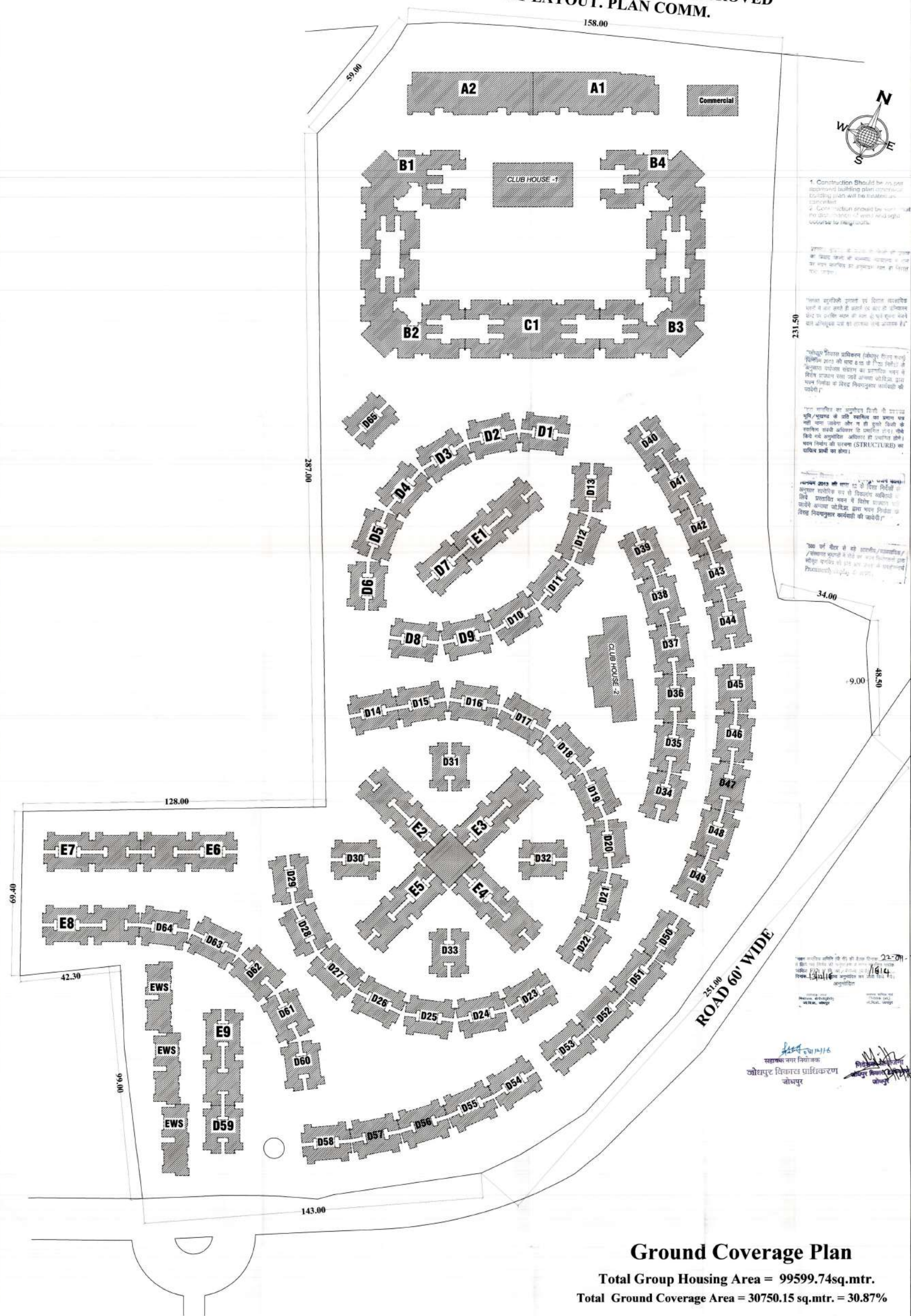
Architect

M/s Arihant Superstructures Ltd.

M. S. DEV SINGH
B. Arch.
C-202/29619

DEV ARCHITECTS
605/9B W ROADSARDARPURAJODHPUR

PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.



1. Construction should be as per approved building plan structural building plan will be issued on completion.
2. Construction should be as per approved building plan structural building plan will be issued on completion.

प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना जोधपुर नगरपालिका के अधीन है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

योजना को अंतिम रूप में स्वीकार करने के लिए जोधपुर नगरपालिका के अधिकारी को सूचित किया जाता है।

Ground Coverage Plan

Total Group Housing Area = 99599.74sq.mtr.

Total Ground Coverage Area = 30750.15 sq.mtr. = 30.87%

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

[Signature]

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

[Signature]

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2602/29618

DEV ARCHITECTS
605/9b 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

**PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.**



**Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.**
Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

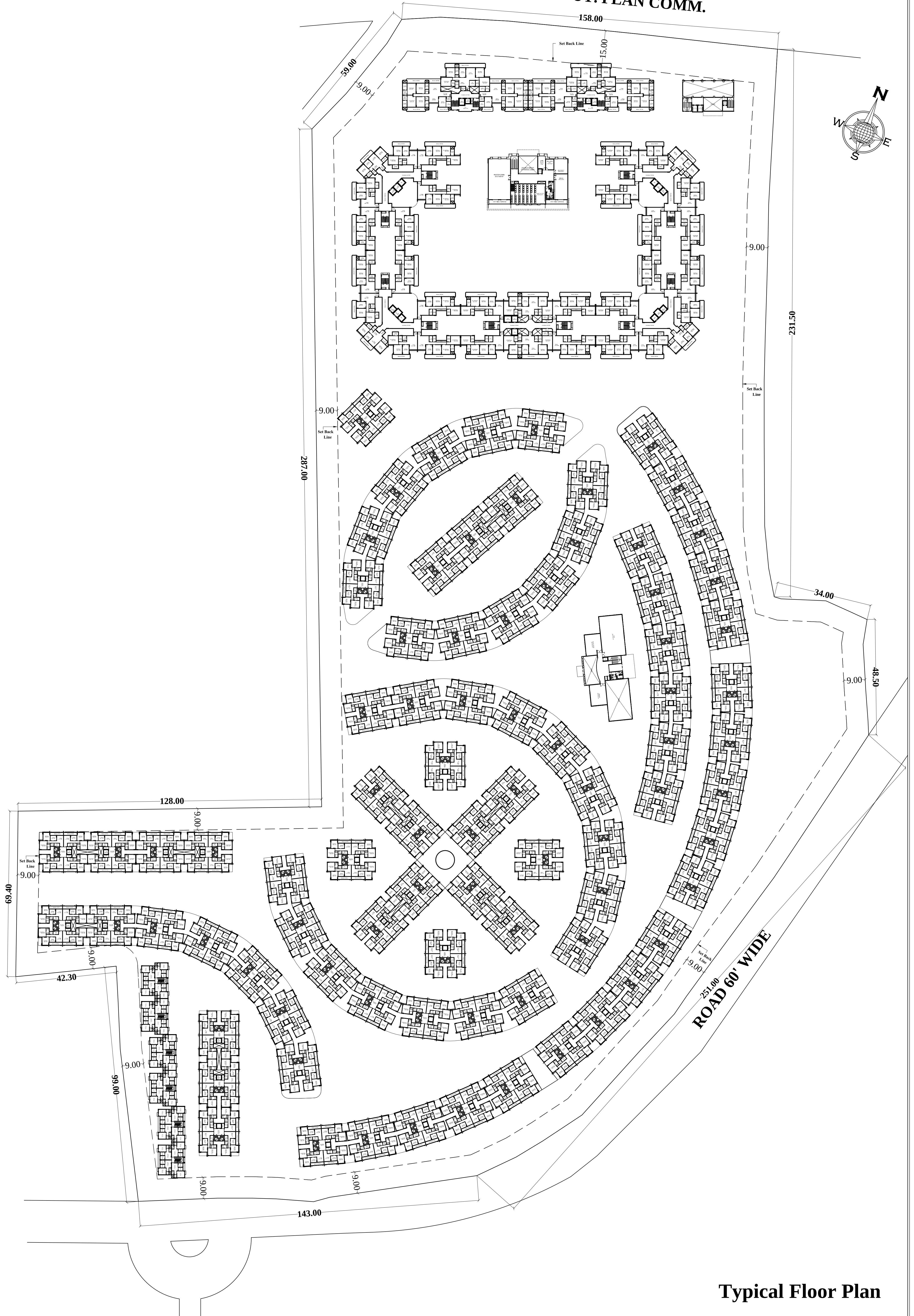
2

M/s Arihant Superstructures Ltd.

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2082/29610

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

**PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.**



Typical Floor Plan

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

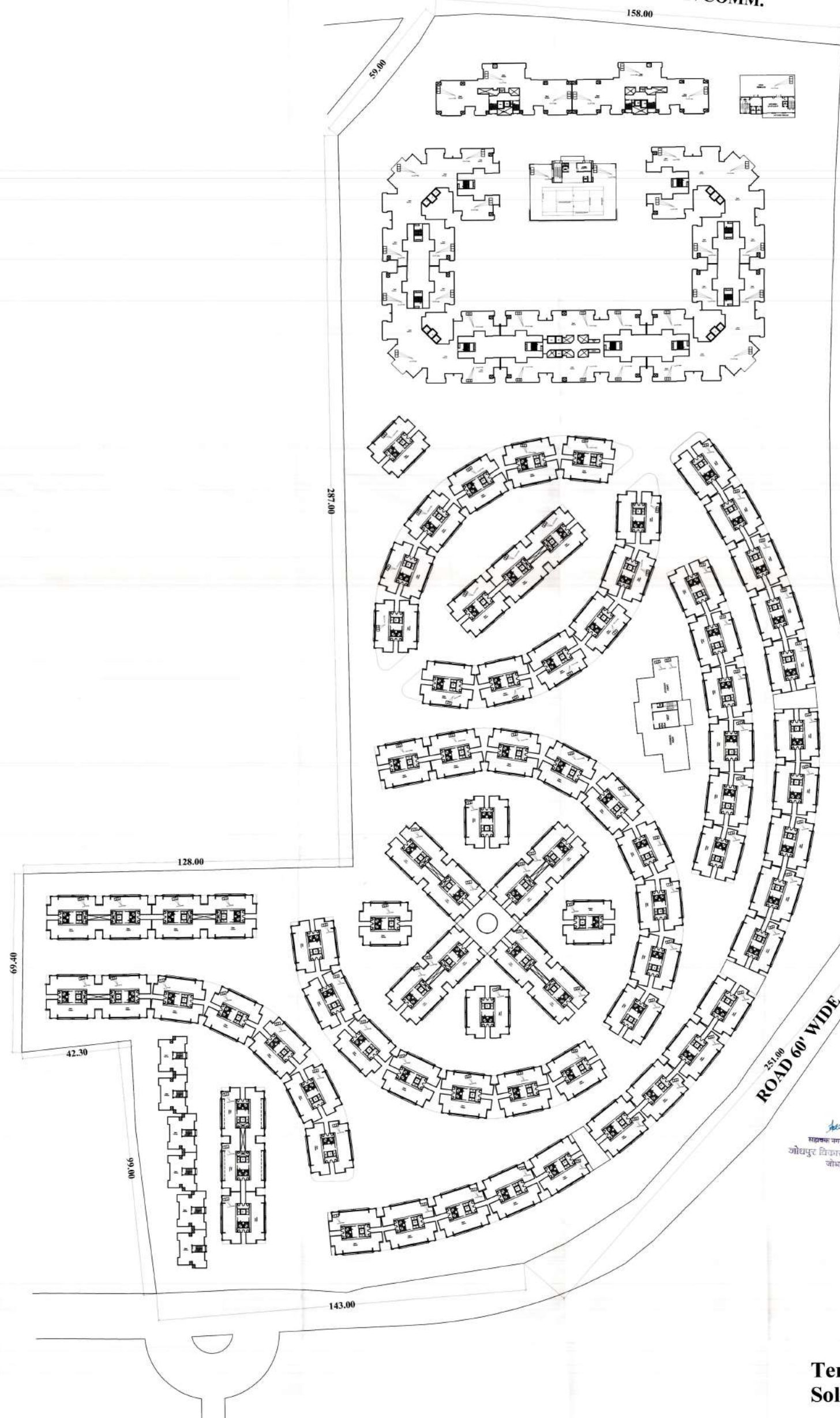
Owner

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

DEV ARCHITECTS
605,9th 'B' ROAD,SARDARPURA,JODHPUR

**PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.**



Terrace Floor & Solar Panel Plan

**Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.
Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.**

Owner

M/s Arihant Superstructures Ltd.

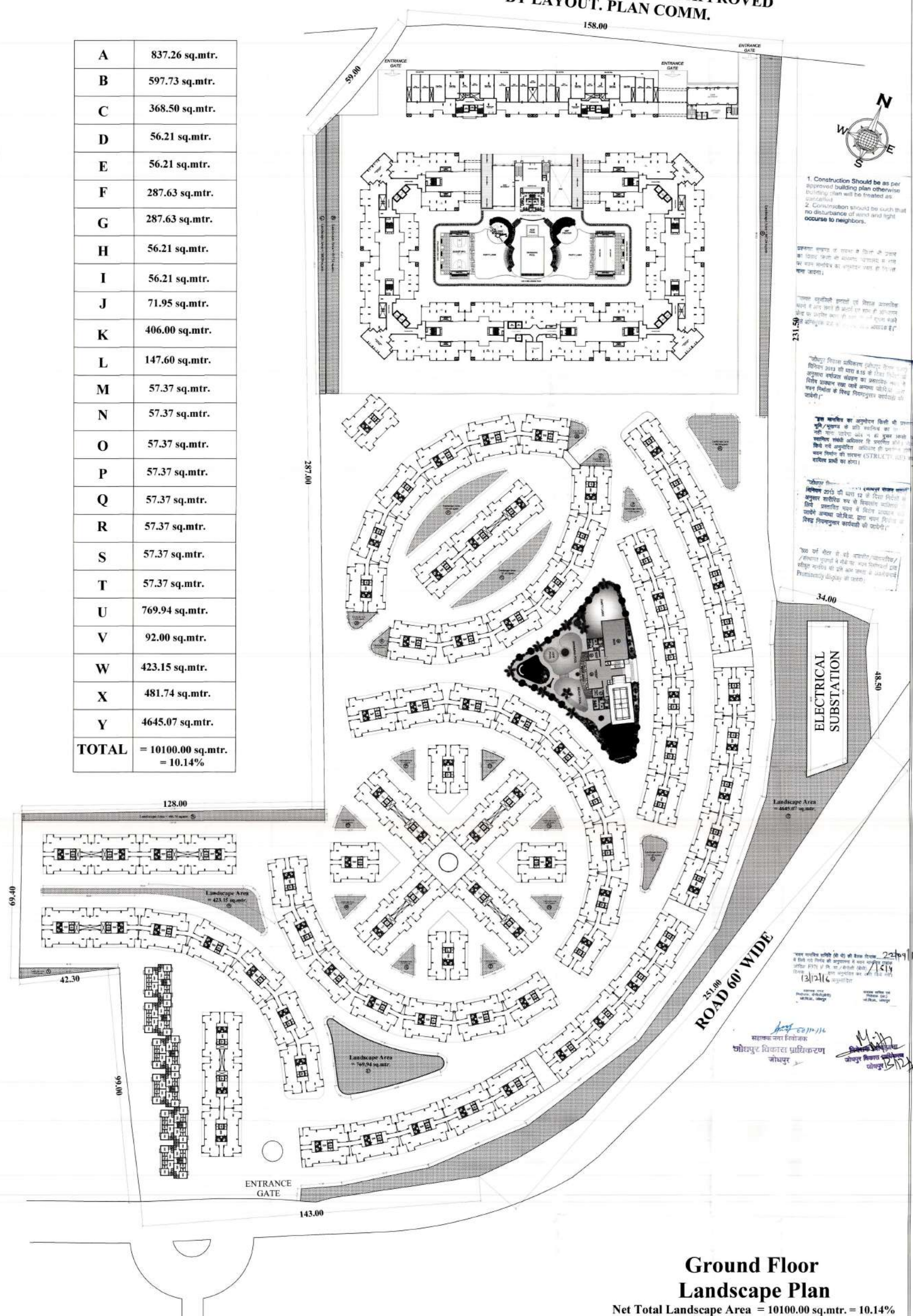
Architect

MANISH DEV SINGH
B. A. Arch.
CA200229610

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

158.00

A	837.26 sq.mtr.
B	597.73 sq.mtr.
C	368.50 sq.mtr.
D	56.21 sq.mtr.
E	56.21 sq.mtr.
F	287.63 sq.mtr.
G	287.63 sq.mtr.
H	56.21 sq.mtr.
I	56.21 sq.mtr.
J	71.95 sq.mtr.
K	406.00 sq.mtr.
L	147.60 sq.mtr.
M	57.37 sq.mtr.
N	57.37 sq.mtr.
O	57.37 sq.mtr.
P	57.37 sq.mtr.
Q	57.37 sq.mtr.
R	57.37 sq.mtr.
S	57.37 sq.mtr.
T	57.37 sq.mtr.
U	769.94 sq.mtr.
V	92.00 sq.mtr.
W	423.15 sq.mtr.
X	481.74 sq.mtr.
Y	4645.07 sq.mtr.
TOTAL	= 10100.00 sq.mtr. = 10.14%



Ground Floor Landscape Plan

Net Total Landscape Area = 10100.00 sq.mtr. = 10.14%

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

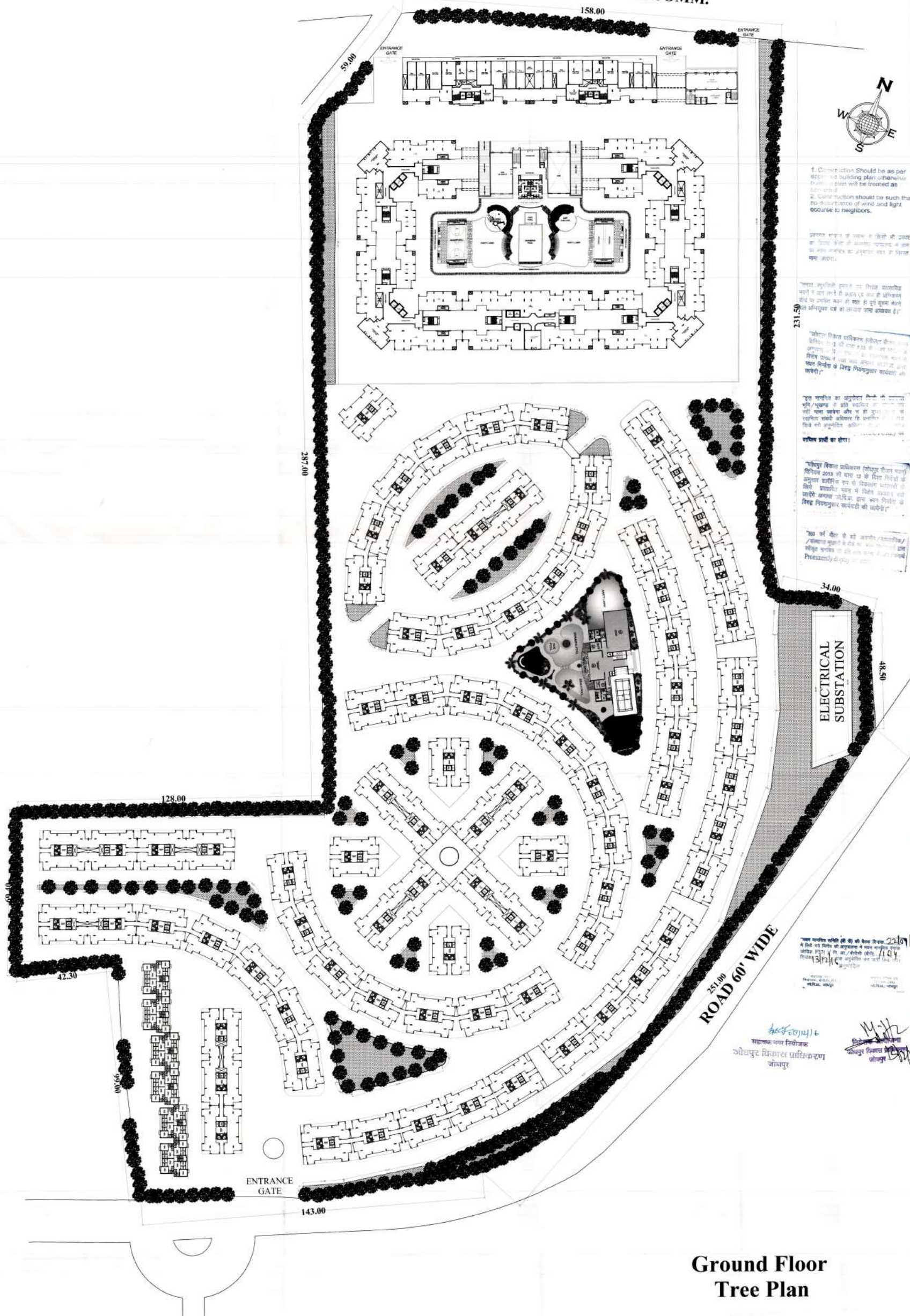
M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2002/29610

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.



1. Construction Should be as per approved building plan otherwise the same will be treated as illegal.
2. Construction should be such that no disturbance of wind and light occurs to neighbors.

प्रस्तावित बांधकाम में वास्तव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

"किसी भी प्रकार के बांधकाम में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इस बात पर सुनिश्चित होना चाहिए कि पड़ोसियों को कोई भी परेशानी न हो।"

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.
Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

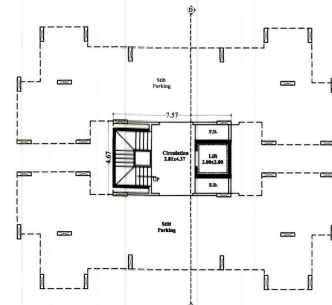
(Signature)

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

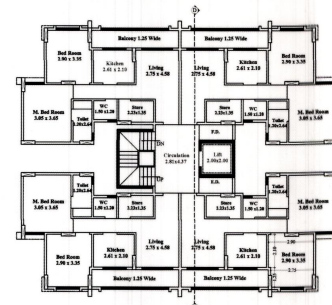
MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2892/29616

DEV ARCHITECTS
605/90 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

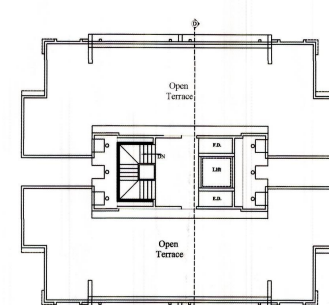


Building -D
(Total 65 Building)
Ground Floor Plan

Building -D Total Area = 257.22 sq.mtr. x 65 Building = 16719.30 sq.mtr.
Deduction (Stair, Lift & E.D.F.D) Area = 23.08 sq.mtr. x 65 Building = 1500.20 sq.mtr.
(Circulation) Area = 12.27 sq.mtr. x 65 Building = 797.55 sq.mtr.
Total Deduction Area = 35.35 sq.mtr. x 65 Building = 2297.75 sq.mtr.
Net Total Stilt Parking Area = 221.87 sq.mtr. x 65 Building = 14421.55 sq.mtr.

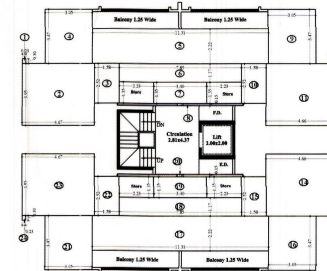


**Building -D
(Total 65 Building)
Typical Floor Plan
1st To 7th Floor Plan**



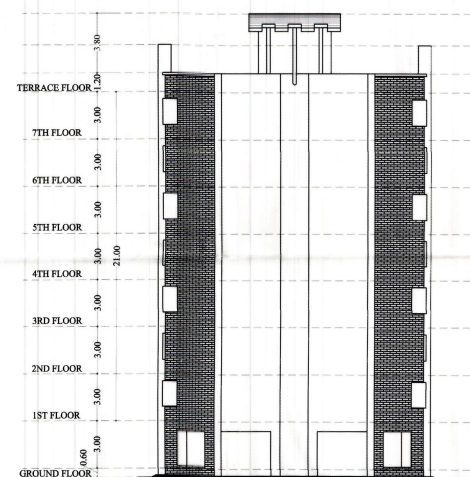
Building -D
(Total 65 Building)
Terrace Floor Plan

Building -D F.A.R. Area = 212.32 sq.mtr. x 65 Building = 13800.80 sq.mtr. x 7 Floor = 96605.60 sq.mtr.
Building -D Store Area = 12.04 sq.mtr. x 65 Building = 782.60 sq.mtr. x 7 Floor = 5478.20 sq.mtr.
Building -D Circulation Area = 12.27 sq.mtr. x 65 Building = 797.55 sq.mtr. x 7 Floor = 5582.85 sq.mtr.

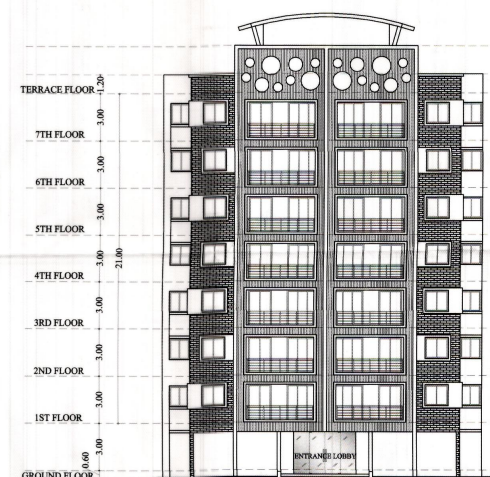


Building -D
(Total 65 Building)
Typical Floor F.A.R. Plan
1st To 7th Floor F.A.R. Plan

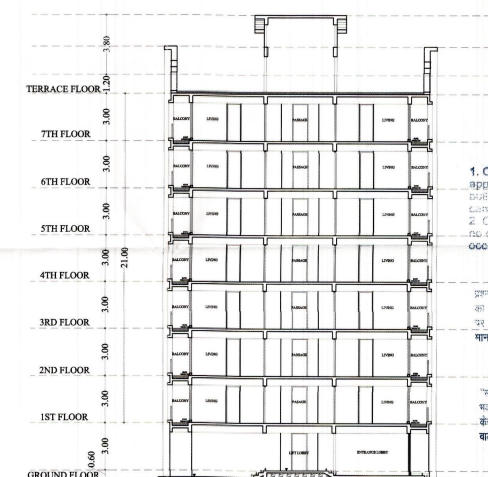
Building -D First Floor F.A.R. Area			
1	0.23 mtr.	0.30 mtr.	= 00.06 sq.mtr.
2	4.67 mtr.	3.95 mtr.	= 18.44 sq.mtr.
3	1.58 mtr.	2.52 mtr.	= 03.98 sq.mtr.
4	3.05 mtr.	3.47 mtr.	= 10.58 sq.mtr.
5	11.31 mtr.	2.22 mtr.	= 25.10 sq.mtr.
6	7.85 mtr.	1.17 mtr.	= 09.18 sq.mtr.
7	3.40 mtr.	1.35 mtr.	= 04.59 sq.mtr.
8	8.08 mtr.	0.15 mtr.	= 01.21 sq.mtr.
9	3.05 mtr.	3.47 mtr.	= 10.58 sq.mtr.
10	1.58 mtr.	2.52 mtr.	= 03.98 sq.mtr.
11	4.66 mtr.	3.95 mtr.	= 18.40 sq.mtr.
12	0.23 mtr.	0.30 mtr.	= 00.06 sq.mtr.
13	0.23 mtr.	0.30 mtr.	= 00.06 sq.mtr.
14	4.66 mtr.	3.95 mtr.	= 18.40 sq.mtr.
15	1.58 mtr.	2.52 mtr.	= 03.98 sq.mtr.
16	3.05 mtr.	3.47 mtr.	= 10.58 sq.mtr.
17	11.31 mtr.	2.22 mtr.	= 25.10 sq.mtr.
18	7.85 mtr.	1.17 mtr.	= 09.18 sq.mtr.
19	3.40 mtr.	1.35 mtr.	= 04.59 sq.mtr.
20	8.08 mtr.	0.15 mtr.	= 01.21 sq.mtr.
21	3.05 mtr.	3.47 mtr.	= 10.58 sq.mtr.
22	1.58 mtr.	2.52 mtr.	= 03.98 sq.mtr.
23	4.67 mtr.	3.95 mtr.	= 18.44 sq.mtr.
24	0.23 mtr.	0.30 mtr.	= 00.06 sq.mtr.
First Floor F.A.R. Area = 212.32 sq.mtr.			



L.H.SIDE ELEVATION



FRONT ELEVATION



SECTION AT D-D

1. Construction Should be as per approved building plan otherwise building plan will be treated as cancelled;
2. Construction should be such that no disturbance of vent and light occurs to neighbors.

प्रश्नकर्ता : प्रत्यक्ष रूप से सड़क पर किताबें बेचकर
को विरोध, सड़क पर सड़कनीचे पतखेबाजी न होना
पर सड़क सफाई के अनुसंधान सचिव ही निरस्त
माना जायेगा :

समस्त भारतीयों को समस्त एवं विस्तृत व्यवसायी
महर्षि ने आज हमसे जो कहते हैं एक साथ ही अभियंता
केन्द्र पर ध्यानपूर्वक स्थान की कक्षा का पूर्ण सुझाव से
वाले अनिवार्य यज्ञों को समस्त ज्ञान आधारक है।

“जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन नगरपालिका) विनियम 2013 की धारा 8.15 के दिशा निर्देश अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रसाधित नगर विशेष प्राधान्य रखे जाये अन्यथा जोड़िए नगर निर्माण के बिना नियमानुसार कार्यवाही जायेगी।”

“इस मानचित्र का अनुमोदन कितो की पत्तनगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसका प्रयोग स्वामित्व संबंधी अधिकारों के प्रति प्रमाण के लिये गये अनुमोदित अधिकारों के प्रमाण के लिये।

नवम निर्माण की सरकारी (FRI, TDA) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

“जोधपुर विकास प्राधिकरण (जो.प्रा.) की 2013 की धारा 12 के तहत निर्देशों अनुसार वार्षिक रूप से विकसित कार्यवाही के लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रयत्न के कारण अन्यथा जो.प्रा. द्वारा भवन निर्माण विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।”

"500 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय/व्यावसायिक / सार्वजनिक भूखंडों में सीढ़ी पर अलग विभाजकता द्वारा स्वीकृत आवासीय को छोटी आम जनता के अवसरों को Prominently display की जायेगी;

अज्ञात नामधेय व्यक्ति (पी पी) की बैठक दिनांक 22/09/16
 के दिनांक पर निर्देश की अनुसंधान में बैठक नामधेय व्यक्ति
 के दिनांक 23/09/16 के आ. / बीपीसी (पीपी) 1/1614
 द्वारा अनुसंधान कर जारी किया गया।
 13/12/16 अनुसंधान

सहायक सचिव
प्रमुख, संशोधन(सी०)
ज०.पि.अ., कोयंबूर

सहायक नगर निगम
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of Group Housing Project At Chokha , Jodhpur.

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2002-29610

DEV ARCHITECTS
605,9th 'B' ROAD,SARDARPURA,JODHPUR

Parking Calculation		F. A. R. Calculation
Req. Parking (Commercial) ① Commercial F.A.R. Area = 1755.99 sq.mtr. $\frac{1755.99 \text{ sq. mtr.}}{50} = 35.11 \text{ E.C.U.}$	Permissible Parking ① Lower Basement Parking Area = 9889.76 sq. mtr. $\frac{9889.76 \text{ sq. mtr.}}{32} = 309.05 \text{ E.C.U.}$	① Total Residential F.A.R. Area = 170955.92 sq.mtr. ② Total Commercial F.A.R. Area = 1755.99 sq.mtr. ③ Total Commercial Area = 1755.99 sq.mtr. Permissible F.A.R. Free Commercial Area @ 3% Of Total F.A.R. Area = 5128.67 sq.mtr. (Commercial Area Is Within Permissible Limit) ④ Total Store Area = 8463.44 sq.mtr. Permissible F.A.R. Free Store Area @3% Of Total F.A.R. Area = 5128.67 sq.mtr. Remaining Area = 3334.77 sq.mtr. (To Be Counted In F.A.R. Area) ⑤ Total Circulation Area = 16047.24 sq.mtr. Permissible F.A.R. Free Circulation Area @ 15% Of Total F.A.R. Area = 25643.38 sq.mtr. (Circulation Area Is Within Permissible Limit) ⑥ Total Club House Area = 2886.67 sq.mtr. Permissible F.A.R. Free Club House Area @5% Of Total F.A.R. Area = 8547.79 sq.mtr. (Club House Area Is Within Permissible Limit)
Req. Parking (Residential) ② Building -A F.A.R. Area = 524.03 sq.mtr. x 2 Building = 1048.06 sq.mtr. x 10 Floor = 10480.60 sq.mtr. ③ Building -B F.A.R. Area = 730.68 sq.mtr. x 4 Building = 2922.72 sq.mtr. x 10 Floor = 29227.20 sq.mtr. ④ Building -C F.A.R. Area = 796.58 sq.mtr. (1 Building) x 10 Floor = 7965.80 sq.mtr. ⑤ Building -D F.A.R. Area = 212.32 sq.mtr. x 65 Building = 13800.80 sq.mtr. x 7 Floor = 96605.60 sq.mtr. ⑥ Building -E F.A.R. Area = 423.44 sq.mtr. x 9 Building = 3810.96 sq.mtr. x 7 Floor = 26676.72 sq.mtr. ⑦ Excess Store Area To Be Calculation In F.A.R. = 3334.77 Sq.ft.	Ground Covered Parking Area $\frac{22555.79 \text{ sq. mtr.}}{28} = 805.56 \text{ E.C.U.}$ Ground Open Parking Area $\frac{57495.88 \text{ sq. mtr.}}{23} = 2499.82 \text{ E.C.U.}$	Total Area For F.A.R. Calculation $= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ $170955.92 \text{ sq.mtr.} + 1755.99 \text{ sq.mtr.} + 0 + 3334.77 \text{ sq.mtr.} + 0 + 0$ $= 176046.68 \text{ sq. mtr.}$
Total Residential F.A.R. Area $= 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$ $= 174290.69 \text{ sq.mtr.}$ $\frac{174290.69 \text{ sq. mtr.}}{75} = 2323.87 \text{ E.C.U.}$ Total Req. Parking $35.11 \text{ E.C.U.} + 2323.87 \text{ E.C.U.}$ $= 2358.98 \text{ E.C.U.}$ ADDITION 25% FOR VISITORS $= 589.74 \text{ E.C.U.}$ GRAND TOTAL $= 2358.98 + 589.74$ $= 2948.72 \text{ E.C.U.}$ Req. = 2948.72 E. C. U. Req.	Total Parking $1 + 2 + 3 + 4$ $= 3908.71 \text{ E. C. U.}$ Total Available Parking $= 3908.71 \text{ E. C. U.}$	F. A. R. = Total Area For F.A.R. Calculation Plot Area $\frac{176046.68 \text{ sq.mtr.}}{133061.00 \text{ sq.mtr.}} = 1.32$ F.A.R. = 1.32
Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of Group Housing Project At Chokha , Jodhpur. Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.		Total Plot Area = 133061.00 sq.mtr. Total Ews & Lig Affordable Housing Area = 33461.26 sq.mtr. Total Group Housing Area = 99599.74sq.mtr.

1. Construction should be as per approved plan otherwise it will be treated as illegal.
2. Construction should be such that no disturbance of light and sound to neighbours.

प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

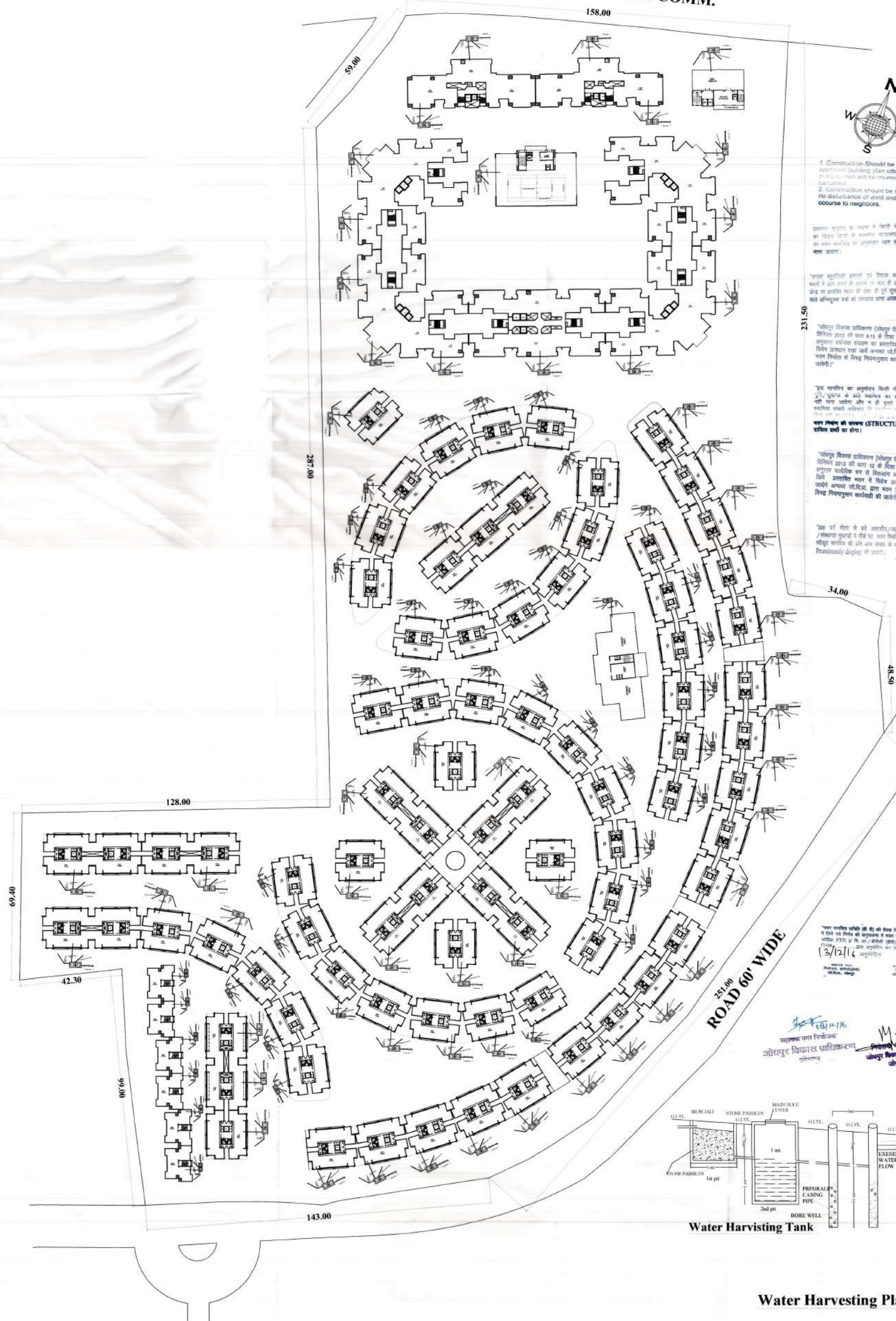
यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

यह योजना आवधिक कार्य में एक भाग है और यह एक ही अधिनियम के तहत एक ही योजना के अंतर्गत है।

**PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.**



Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2083/29610

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

158.00



1. Construction should be as per approved building plan otherwise building plan will be treated as cancelled.
2. Construction should be such that no disturbance of wind and light occurs to neighbors.

उत्तराध्यायः। अथवा न विज्ञेयं न ज्ञेयं
न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं
न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं
न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं न ज्ञेयं

“सारा इतिहासी दुगारी एध विगत जसलोक
मानी मे जग जगते ही अरुणें एग साथ ही अविनाश
केदु एग प्रकृति स्थान की लगे ही पूर्ण सुख भेजने
वाले अविनाशक एगो हो जगदायक जग अविनाशक है।”

“जोसमुर विकास प्राधिकरण (जोसमुर टाउन बलम)
जुलै २०१३ की धारा ८.१५ के विरुद्ध निर्देशों के
अनुसार जेजेएस संस्थापक को प्रस्तावित भवन में
निर्माण प्रारम्भ करा जाये अथवा जो विपक्ष द्वारा
लगाए गए निर्देशों के विरुद्ध नियामक प्राधिकारी की
अपील।”

“इस मानचित्र का अनुसूचन किया भी एकमात्र
भूमि/भूखण्ड को प्रति स्वाधिकार का प्रोत्साहन
नहीं मान्य प्रत्येक और न ही दूसरे को
स्वाधिकार संकेत उपकरण कि प्रत्येक को
किन्तु गये अनुसूचन कि प्रत्येक को
मान्य प्रत्येक की मान्य (STRUCTURE) कि
प्रत्येक को स्व होता।

“जिला विकास प्रतिकल्प (जीवपुर) के
निर्माण 2013 की धारा 12 के दिशा में
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
को प्रस्तावित मकान में विशेष प्राथमता
कायदे अन्वया जोड़िए। द्वारा मकान निर्माण
सिद्ध भिन्नमूल्य कार्यक्रम की जायेगी।”

उपरोक्त विवरण में यदि आवश्यक/वास्तविक/
संबंधित व्यक्तियों के नाम में अपने निर्देशकों द्वारा
सहीदत प्रमाणों की प्रति मांग जाय तो उपरोक्तान्वर्य
Promisently display करेगा।

34.00

ELECTRICAL
SUBSTATION

संलग्न कार्यपत्र परिलक्षित है कि कि सी केएस रिजल्ट 22/09/19
में शामिल एवं सम्मेलन की अनुमतिपत्र में नाम सम्मेलन में
लिखित F37 Y के आ / कीसरी (किरी) 1914
13/12/16 डाटा अनुमतिपत्र कर जमा नहीं करे।
अनुमतिपत्र
संलग्न कार्यपत्र परिलक्षित है कि कि सी केएस रिजल्ट 22/09/19
में शामिल एवं सम्मेलन की अनुमतिपत्र में नाम सम्मेलन में
लिखित F37 Y के आ / कीसरी (किरी) 1914
13/12/16 डाटा अनुमतिपत्र कर जमा नहीं करे।
अनुमतिपत्र

महाकक नगर निवासेक
जोषपुर विकास प्राधिकरण
जोषपुर

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

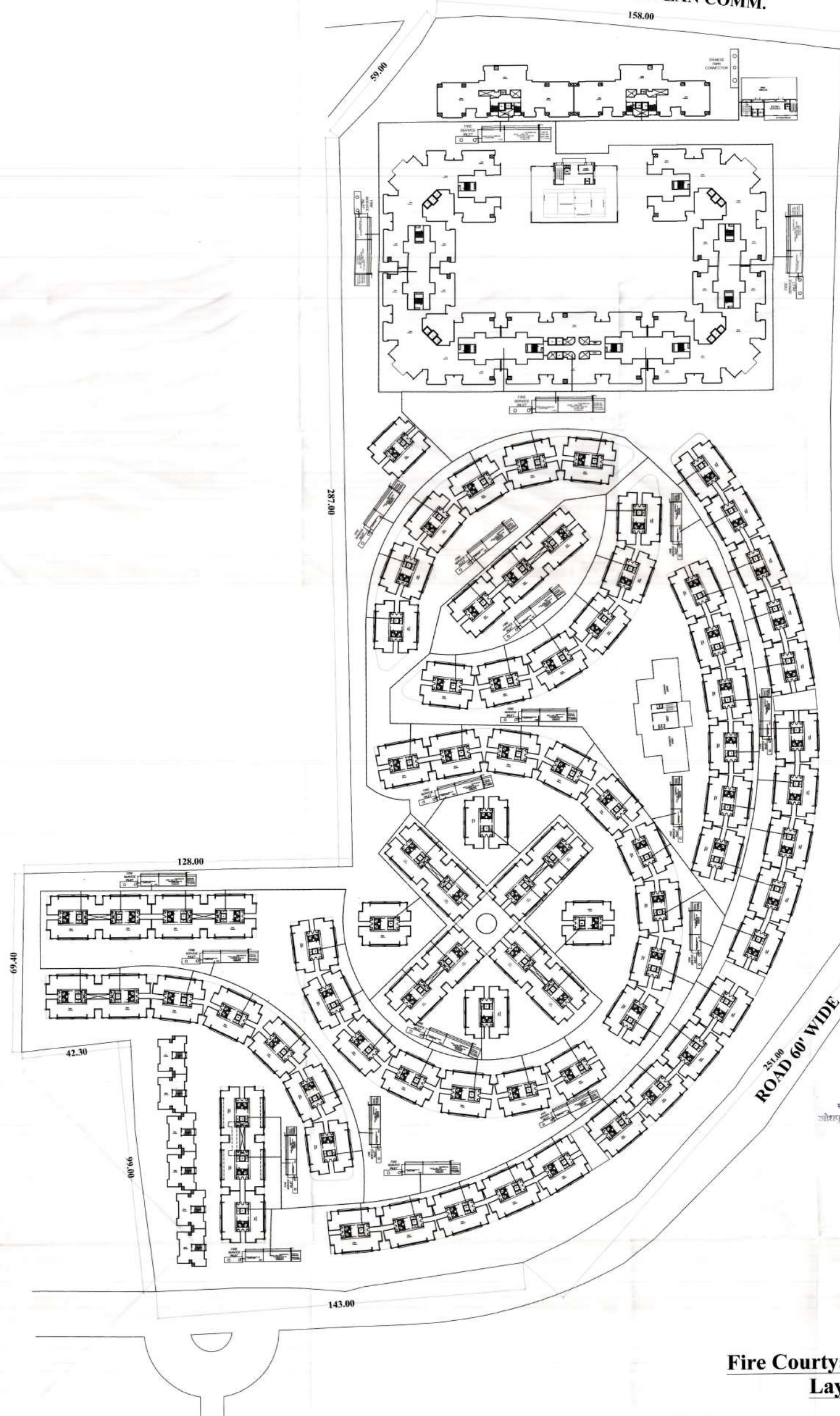
M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
CA/2682/29619

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

**PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.**



1. Construction should be as per approved building plan otherwise building plan will be treated as cancelled.

2. Construction should be such that no disturbance of wind and light occur to neighbors.

अथवा अथवा कि मुद्रा के बिलों की मात्रा को नियंत्रित करने में सरकार सक्षम है।

“मामल दबुआँजी इमारती एव विद्यालय गणसहस्रिक
पानी में डूब गये। जो अज्ञान ही लोक ही अविद्यामान
लोक का जननी। स्थान की स्था। ही पूर्व सूचना भेजने
करे आगिबुधक घड़ी को लगभग जान अवश्यक है।”

लोखारु विकास प्राधिकरण (लोखारु रोजन मदन) सिपिम 2013 की कारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार मर्यादित संरक्षण का प्रत्यक्ष मदन के विशेष प्रयत्न रखा धर्म अन्यथा जो विज्ञा, प्राप्त वान निर्माता के निरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

यह, यह चित्र का अनुमोदन किसी भी अवस्था में, भूगोल के प्रति स्थिति का प्रमाण प्रदान नहीं करता जोड़ेगा और न ही दूसरे किसी के स्थिति संकेत अधिकार है प्रमाणित होने। नीचे किसी गये अनुमोदन अधिकार ही प्रमाणित होने। यहाँ निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का प्रमाणित प्रदान का होगा।

“जोधपुर विमान प्रशिक्षण (जोधपुर चीजन भवन) विमान 2013 की भाग 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्राकटन परी जायदी अन्वया जोविप्र. द्वारा भवन निर्माता के दिष्ट नियन्त्रुता कार्यवाही की जायेगी।”

700 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय/वाणिज्यिक/
/सामाजिक भवनों में लीक फ्री सप्लाय प्रोडक्टों द्वारा
लोकल वाणिज्य की प्रति आम जनता के अवसर-वर्ध
Prominently display की जाये।

22/6
 13/2/15

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Applicant's Name : - M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

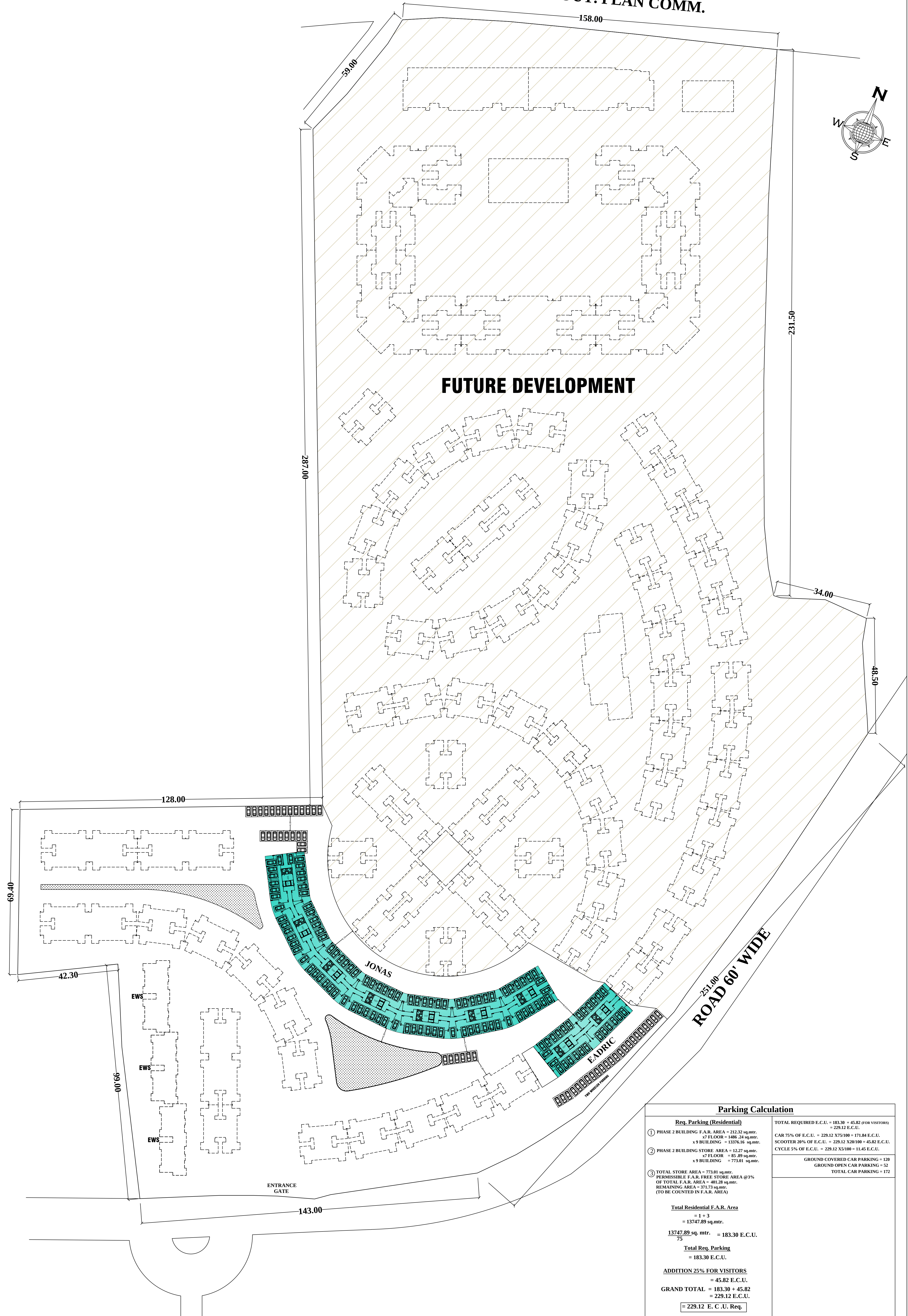
M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

MANISH DEV SINGH
B. Arch.
C-42002/23610

DEV ARCHITECTS
605, 9th 'B' ROAD, SARDARPURA, JODHPUR

PROPOSED 100' WIDE ROAD AS APPROVED
BY LAYOUT. PLAN COMM.



Revised Phase plan of phase area
2958.35 sq.mt. updated on 10-08-2020

TOTAL PLOT AREA = 99599.74 Sq.Mtr.

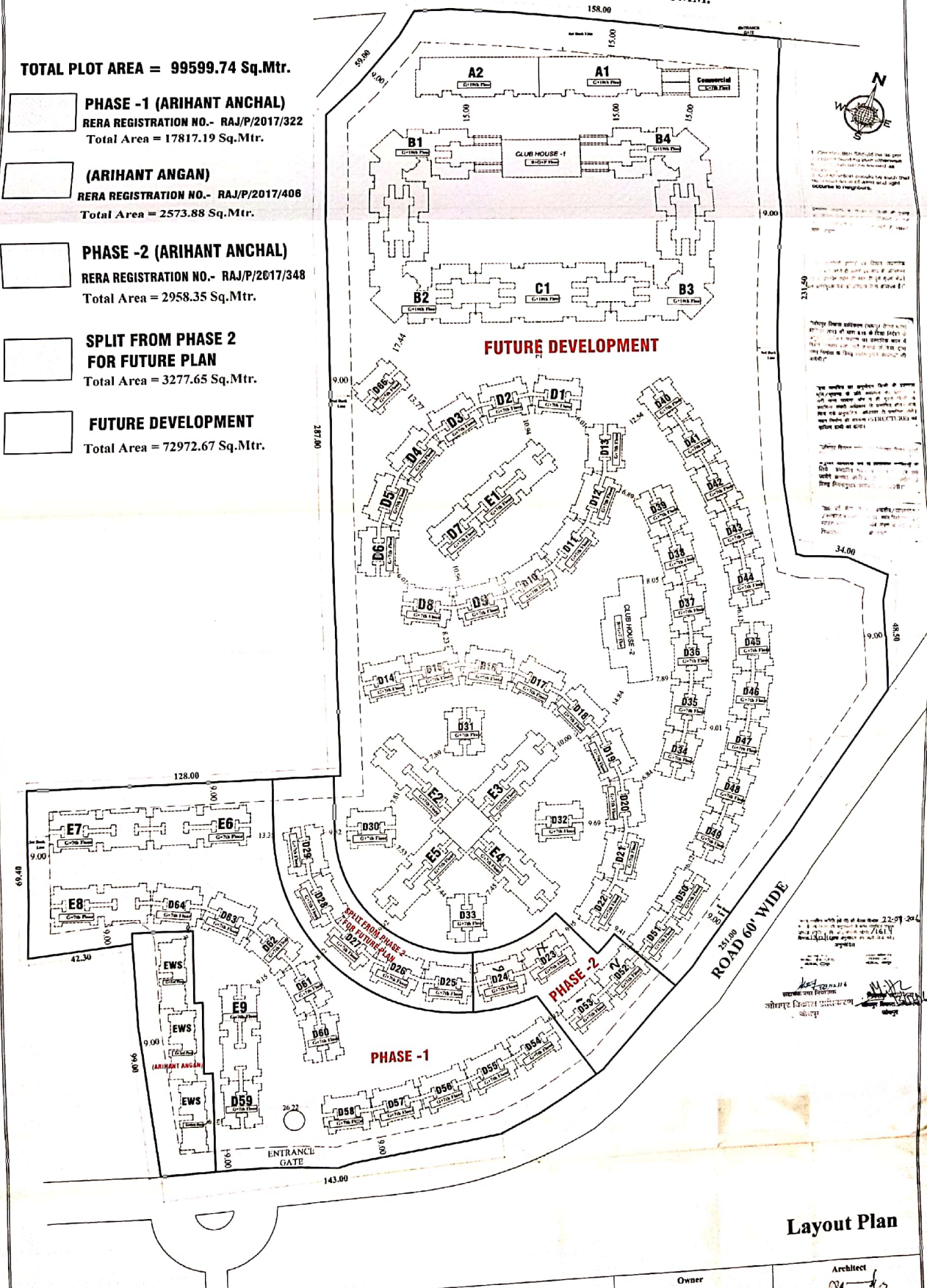
PHASE -1 (ARIHANT ANCHAL)
RERA REGISTRATION NO.- RAJ/P/2017/322
Total Area = 17817.19 Sq.Mtr.

(ARIHANT ANGAN)
RERA REGISTRATION NO.- RAJ/P/2017/408
Total Area = 2573.88 Sq.Mtr.

PHASE -2 (ARIHANT ANCHAL)
RERA REGISTRATION NO.- RAJ/P/2017/348
Total Area = 2958.35 Sq.Mtr.

**SPLIT FROM PHASE 2
FOR FUTURE PLAN**
Total Area = 3277.65 Sq.Mtr.

FUTURE DEVELOPMENT
Total Area = 72972.67 Sq.Mtr.



Layout Plan

Proposed Plan At Khasra No. 667,668,670,671,673 To 677 Of
Group Housing Project At Chokha, Jodhpur.
Applicant's Name :- M/s Arihant Superstructures Ltd.

Owner

M/s Arihant Superstructures Ltd.

Architect

DEV ARCHITECTS
GROUP 4, KHASRA NO. 670, JODHPUR